उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

संख्या-50/2015/823/78-2-2015-38आई.टी./2015

लखनऊः दिनांकः 04 जून, 2015

कार्यालय ज्ञाप

आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के आदेश सं0-383/78-2-2015-10आई.टी./2015 दिनांक 26.03.2015 द्वारा मा. मुख्यमंत्री कार्यालय हेतु "मेगा कॉल सेन्टर" की स्थापना एवं संचालन का दायित्व यूपीडेस्को को दिया गया है जिसके अन्तर्गत यूपीएलसी द्वारा प्राविधान के अनुसार कन्सलटेन्ट संस्था का चयन कर यूपीडेस्को को उपलब्ध कराया जा चुका है। इस कार्य/योजना के संचालन हेतु निम्नानुसार एक प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कमेटी का गठन किया जाता हैः-

1.	प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को।	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3.	अपर निदेशक, कोषागार, लखनऊ मण्डल।	सदस्य
4.	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
5.	एस.आई.ओ., एन.आई.सी., उ0प्र0, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
6.	श्री आर.के. गुप्ता, प्रबन्धक (प्रणाली) एवं मुख्य प्रभारी, यूपीडेस्को।	सदस्य
7.	श्री एच.सी. गुप्ता, प्रबन्धक (प्रणाली) एवं प्रभारी, साफ्टवेयर विकास, प्रशासन एवं लेखा, यूपीडेस्को।	सदस्य
8.	श्री नितिन माथुर, सहायक प्रबन्धक (प्रो.), यूपीडेस्को।	सदस्य सचिव
9.	अन्य विशेष आमंत्री, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित कमेटी द्वारा एस.आई./कॉल सेन्टर आपरेटर के चयन के लिये कन्सलटेन्ट संस्था से प्राप्त आर.एफ.पी. पर शासन स्तरीय अनुमोदन प्राप्त करने, आर.एफ.पी. के प्रकाशन उपरान्त बिड प्रोसेस मैनेजमेन्ट जैसे प्री-बिड, प्राप्त तकनीकी निविदाओं को खोलने, बिड इवेल्यूएशन एवं तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाली संस्थाओं की वित्तीय निविदाओं को खोलने, संस्था के चयन आदि पर संस्तुति की जायेगी तथा कॉल सेन्टर की स्थापना उपरान्त आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्रबन्धन स्तरीय अपेक्षित कार्यवाहियों में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

योजनान्तर्गत कन्सलटेन्ट संस्था द्वारा कमेटी की बैठकों में प्रतिभाग कर प्रत्येक आहूत बैठक की विषय वस्तु से कमेटी को अवगत कराते हुये यथावश्यक कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 50/2015/823(1)/78-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव(पी/एन), आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. कमेटी के समस्त सदस्यगण।
6. चयनित कन्सलटेन्ट संस्था में. अर्नेस्ट एण्ड यंग एलएलपी के स्थानीय प्रतिनिधि।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।